उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-1
संख्या 1466/चौवालिस-1-1980-125/1975
लखनऊ: दिनांक: 24 अक्तूबर, 1980

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों तथा अध्य स्वशासित संस्थानों के प्रबन्धक बोर्डो के अध्यक्ष, निदेशक अथवा पदेन निदेशक पद पर नियुक्त राजकीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में भाग लेने के लिए जाने पर, अपने यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों का भुगतान सीधे सम्बन्धित सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों/स्वशासित संस्थानों से प्राप्त करने आदि विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1325/ब्यूरो/125/1975, दिनांक 23 अक्तूबर, 1975 (प्रतिलिपि संलग्न) का आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा–2 की पांचवी पंक्ति तथा पैरा– 4 की द्वितीय पंक्ति/शब्द में प्रयुक्त शब्द 'उपयुक्त' को हटाकर उसके स्थान पर 'राज्य सरकार के' प्रतिस्थापित कर दिये जायं।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि की प्रबन्धक बोर्डो की बैठक में सम्मिलित होने के लिए सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि के नियमों के अन्तर्गत समस्त अन्य निदेशकों को वायुयान/वातानुकूलित कोच से यात्रा करने की सुविधा अनुमन्य कराई जाती है तो ऐसे सरकारी अधिकारियों को भी जो उन पर लागू राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप वायुयान/वातानुकूलित कोच से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं, यह विकल्प प्राप्त होगा कि समय बचाने के दृष्टिकोण से वे भी प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में निदेशक की हैसियत से सम्मिलित होने के लिए वायुयान/वातानुकूलित कोच से यात्रा कर ले परन्तु इस सम्बन्ध में उनका यात्रा भत्ता राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित होगा और तत्सम्बन्धी व्यय सम्बन्धित सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि द्वारा वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सुमन कुमार माडवेल,
सचिव।

संख्या 1466 (1)/चौवालिस-1-1980-125/1975- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव।
(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) शासन के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
(4) प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

आज्ञा से,
सुमन कुमार माडवेल,
सचिव।